पंचदश बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक 15.07.2014 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री प्रेम रंजन पटेल, स०वि०स० श्री नितिन नवीन, स०वि०स० श्री जवाहर प्रसाद, स०वि०स० श्री महेन्द्र बैठा, स०वि०स०	"मगध विश्वविद्यालय के अन्तर्गत डी०एन० कॉलेज, मसौढ़ी (पटना) में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ज्ञापांक-117/111 बी, दिनांक-21 मार्च, 2013 के आलोक में शासी निकाय गठित कर पूर्ण शासी निकाय का गठन किया जाना था । शासी निकाय का गठन नहीं होने से कॉलेज में वित्तीय अनियमितता के साथ-साथ पठन-पाठन भी बंद है । पिछड़े इलाके के एक मात्र डिग्री कॉलेज में गरीब तथा आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है । अत: उक्त कॉलेज के पूर्ण शासी निकाय का गठन करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	शिक्षा

1	2	3	4
2.	श्री प्रमोद कुमार सिंह, स०वि०स० श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, स०वि०स० श्री पन्ना लाल सिंह "पटेल", स०वि०स० श्री जनार्दन मांझी, स०वि०स० डा० इजहार अहमद, स०वि०स० श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि०स० श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, स०वि०स० श्री रणधीर कुमार सोनी, स०वि०स० श्री अनन्त कुमार सत्यार्थी, स०वि०स० श्री रतनेश सादा, स०वि०स० श्री अजय प्रताप, स०वि०स०	"जमुई जिला की आबादी 10 लाख से ज्यादा होने के बावजूद आजतक इस जिले में शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालय (बी.एड.) एवं प्राथमिक शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालय के अभाव में छात्र-छात्राओं को अन्य जिलों में प्रशिक्षण हेतु जाना पड़ता है । माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा दिनांक 06.02.2014 को महाराज चन्द्रचूड़ विद्यालय, गिद्धौर के हीरक जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में विद्यालय की भूमि एवं आधारभूत संरचना के आधार पर अतिशीघ्र एक शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालय (बी.एड.) एवं एक प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना विद्यालय के प्रांगण में ही करने हेतु घोषणा की गयी थी परंतु शिक्षा विभाग द्वारा अभीतक उक्त घोषणा का कार्यान्वयन नहीं किया गया है । अतएव जमुई जिला में माननीय मंत्री की घोषणा के अनुरूप शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालय (बी.एड.) एवं प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना महाराज चन्द्रचूड़ विद्यालय, गिद्धौर में करने हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	शिक्षा

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-20/14- 1046 / वि०स०, पटना, दिनांक- 14 जुलाई, 2014 ई० ।

प्रति:-बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14.7.14
(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-20/14- 1046 / वि०स०, पटना, दिनांक- 14 जुलाई, 2014 ई० ।

प्रति:-अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

14.7.14
(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।